न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर (शहर)
पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 149 / 2013

आर.सी.एम.एस. नं.:–2013 / 00216

1. पानादेवी पत्नि स्व. मुन्नालाल जाति झंवर निवासी ग्राम नापासर, तहसील व जिला बीकानेर (फौत)।
2. रामादेवी पुत्री स्व. मुन्नालाल जाति झंवर पत्नि प्रयागचन्द जाति मूंधड़ा निवासी ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर जरिये मुख्त्यारआम दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रयाग चन्द जाति मूंधड़ा निवासी ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

——वादीगण——

—बनाम—

1. मोहनलाल
2. गिरीराज कुमार

} पुत्रगण नारायण दास जाति झंवर निवासीगण ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी स्टेन्डर्ड टैडर्स 306, कालबा देवी रोड, 407 कंकड मार्केट, मुम्बई।

3. महादेव
4. कैलाश

} पुत्रगण स्व. शंकरलाल जाति झंवर निवासीगण ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी स्टेन्डर्ड टैडर्स 306, कालबा देवी रोड, 407 कंकड मार्केट, मुम्बई।

5. पूनमचन्द
6. ताराचन्द

} पुत्रगण स्व. मोहनी पुत्री मुल्तान चन्द जाति दरगड निवासीगण ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी स्टेन्डर्ड टैडर्स 306, कालबा देवी रोड, 407 कंकड मार्केट, मुम्बई।

7. श्यामसुन्दर पुत्र स्व. मुल्तानचन्द जाति झंवर निवासी ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी स्टेन्डर्ड टेडर्स 306, कालबा देवी रोड, 407 कंकड मार्केट,मुम्बई।

8.सांवती पुत्री स्व. मुल्तानचन्द जाति झंवर पत्नी सीताराम मूंधड़ा जाति मूधड़ा निवासी ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी स्टेन्डर्ड टेडर्स 306, कालबा देवी रोड , 407 कंकड मार्केट, मुम्बई।

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

——प्रतिवादीगण——

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–
1. श्री जगदीश जयपाल एड. वादी की ओर से
2. श्री भारत कुमार परिहार एड. प्रतिवादी सं. 1 ... की ओर से ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:44:14 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– .../19

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादगत कृषि भूमि ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नं. 1255 तादादी 2.14 हैक्टर,खसरा नं. 1259

तादादी 14.49 हैक्टर, खसरा नं. 1672 तादादी 5.00 हैक्टर, खसरा नं. 1674 तादादी 8.11 हैक्टर, खसरा नं. 1761/1259 तादादी 2.16 हैक्टर कुल तादादी 31.90 हैक्टर स्थित है।

उक्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्ड के अनुसार सह खातेदार है वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व मे बाहमी बंटवारा प्रतिवादीगण का हिस्सा हो रखा है। जो निम्न प्रकार से है:–

प्रतिवादीगण का हिस्सा:–

1. खसरा नं. 1672 तादादी 5.00 हैक्टर
2. खसरा नं. 1674 तादादी 8.11 हैक्टर
3. खसरा नं. 1761/1259 तादादी 1.08 हैक्टर

कुल तादादी 14.19 हैक्टर

वादीगण का हिस्सा:–

1. खसरा नं. 1255 तादादी 2.14 हैक्टर
2. खसरा नं. 1259 तादादी 14.49 हैक्टर
3. खसरा नं. 1761/1259 तादादी 1.08 हैक्टर

कुल तादादी 17.71 हैक्टर

वादीगण व प्रतिवादीगण उपरोक्त कृषि भूमि में दर्शाये गये अपने अपने हिस्सो की कृषि भूमि पर काबिज है तथा शान्ति पूर्वक तरीके से अपने अपने हिस्सो की कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है।

उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण ऋण लेने व भूमि सुधार हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। वादी ने दिनांक 16.10.2013 को प्रतिवादी सं. 1 ता 8 को तहसील कार्यालय चलकर खाता बंटवारा करवा लेने का निवेदन किया गया तो पहले वो तैयार हो गये लेकिन दिनांक 24.10.2013 को इन्कार हो गये कि वे खाता बंटवारा नहीं करवायेगे तथा वादीगण के कब्जे की कृषि भूमि को बिना विभाजन किये विक्रय कर देगें। इसलिये यह आवश्यक हो गया कि वो न्यायालय वाला मे खाता तकसीम का दावा पेश कर खाता विभाजन डिक्री बाई मिटस एण्ड बाउण्डस प्राप्त करे इसलिये दावा प्रस्तुत किया गया है।

इस वाद पत्र के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों का जरिये समन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण की तरफ से श्री भारत कुमार परिहार एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया व जवाबदावा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की तरफ से पेश किया गया जवाब में प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा वादी के सभी बिन्दुओं पर अपनी सहमति दी गयी कि वादी व प्रतिवादीगणों द्वारा बाहमी बंटवारा निम्नप्रकार से हो रखा है:–

1. खसरा नं. 1672 तादादी 5.00 हैक्टर
2. खसरा नं. 1674 तादादी 8.11 हैक्टर
3. खसरा नं. 1761/1259 तादादी 1.08 हैक्टर

कुल तादादी 14.19 हैक्टर प्रतिवादीगण का हिस्सा व

1. खसरा नं. 1255 तादादी 2.14 हैक्टर
2. खसरा नं. 1259 तादादी 14.49 हैक्टर
3. खसरा नं. 1761/1259 तादादी 1.08 हैक्टर

कुल तादादी 17.71 हैक्टर वादी का हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

वाद पत्र के पैरा सं. 3 में लिखे गये कथन की वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त कृषि भूमि में दर्शाये अनुसार शान्तिपूर्वक तरीके से अपने अपने हिस्सों की कृषि भूमि को काश्त करते चले आ रहे है व वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:44:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्त जवाब के अनुसार ही वादी व प्रतिवादी द्वारा अपनी सहमति पत्र पेश किया गया है जिसमें निम्नानुसार बांटी गयी कृषि भूमि:–

वादीगण के हिस्से में आयी कृषि भूमि:

1. खसरा नं. 1255 तादादी 2.14 हैक्टर
2. खसरा नं. 1259 तादादी 14.49 हैक्टर
3. खसरा नं. 1761/1259 तादादी 1.08 हैक्टर

प्रतिवादीगण के हिस्से मे आयी कृषि भूमि:–

1. खसरा नं. 1672 तादादी 5.00 हैक्टर
2. खसरा नं. 1674 तादादी 8.11 हैक्टर
3. खसरा नं. 1761/1259 तादादी 1.08 हैक्टर

कुल तादादी 14.19 हैक्टर

उपरोक्त वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगणों के हिस्सो में आयी कृषि भूमि का पैरा सं. 2 के अनुसार विभाजन डिक्री किये जाने की अपनी सहमति दी गयी है।

हमने वाद पत्र व वाद पत्र साथ सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादीगण के सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है वादी व प्रतिवादीगण के सहमति पत्र अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर की कृषि भूमि का निम्नानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है कि :–

वादीगण का हिस्सा

1. खसरा नं. 1255 तादादी 2.14 हैक्टर
2. खसरा नं. 1259 तादादी 14.49 हैक्टर
3. खसरा नं. 1761/1259 तादादी 1.08 हैक्टर

कुल तादादी 17.71 हैक्टर

प्रतिवादीगण का हिस्सा

1. खसरा नं. 1672 तादादी 5.00 हैक्टर
2. खसरा नं. 1674 तादादी 8.11 हैक्टर
3. खसरा नं. 1761/1259 तादादी 1.08 हैक्टर

कुल तादादी 14.19 हैक्टर

निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) बीकानेर को इस निर्देश के साथ भिजवायी जाती है कि वे पक्षकारो को नोटिस जारी कर मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव व नक्शा की दो–दो प्रतियों में प्रेषित करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:44:14 IST
Reason: SelfAttested